अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 497(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 फरवरी,2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 154 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री दक्षिणाय भाव समिति, डी0न0 4-2-16, फोर्थ लेन, लक्ष्मीपुरम, गुंटूर-522007 (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा पाडापालकलूरु गांव, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश में मानसिक रूप से विकलांगों के लिए दक्षिणाय संस्था के विशेष स्कूल भवन , छात्रावास और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज-सज्जा और उसको चलाने की योजना को कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे बाद में दिनांक 9 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना सं0सां0आ0 1278 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दक्षिणाय भाव समिति, डी0न0 4-2-16, फोर्थ लेन, लक्ष्मीपुरम, गुंटूर-522007 (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा पाक्षापालकलूरु गांव, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश में मानसिक रूप से विकलांगों के लिए दक्षिणाय संस्था के विशेष स्कूल भवन , छात्रावास और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, उपस्करों की खरीद, साज-सज्जा और उसको चलाने की परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत अर्थात 267.80 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 97/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)